UPMB010014332022

निर्णय

फार्म– ए

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०(सी०ए०डब्लू०) , महोबा।

उपस्थितिः तेन्द्र पाल (उच्चतर न्यायिक सेवा)

J O code UP- 1719

सत्र वाद संख्या –322/2024

CNR NO-UPMB010014332022

निर्णय की तिथि-12.03.2026

उत्तर प्रदेश सरकार ..... अभियोजक

बनाम

1.हरी सिंह पाल पुत्र चरन उर्फ रामचरन पाल
2.चरन उर्फ रामचरन पाल पुत्र स्व० साधूराम
3.श्रीमती सम्पत पाल पत्नी चरन उर्फ रामचरन पाल
निवासीगण ग्राम रैपुराकला थाना कोतवाली महोबा जिला महोबा।

---------- अभियुक्तगण

मु०अ०स०-125/2022
धारा–498 ए, 304 बी० भा०दं०सं०
व धारा–3/4 डी०पी०एक्ट वैकल्पिक धारा 302
सपठित धारा 34 भा०दं०सं०
थाना–महोबा

परिवादी/शिकायतकर्ता	उत्तर प्रदेश राज्य
द्वारा	श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह राजपूत सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता , फौजदारी
अभियुक्त	1.हरी सिंह पाल 2.चरन उर्फ रामचरन पाल 3.श्रीमती सम्पत पाल
द्वारा अधिवक्ता	श्री जयपाल कुशवाहा

फार्म– बी

अपराध की तिथि	दिनांक–23–03–2022
प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने की तिथि	दिनांक–24–03–2022
आरोप–पत्र प्रेषित किये जाने की तिथि	दिनांक–15–06–2022
आरोप विरचित किये जाने की तिथि	दिनांक–12–07–2022
साक्ष्य प्रारम्भ होने की तिथि	दिनांक–22–09–2022

निर्णय सुरक्षित करने की तिथि	दिनांक–06–03–2026
निर्णय का दिनांक	दिनांक–12–03–2026

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त का क्रम	अभियुक्त का नाम	गिरफतारी की तिथि	जमानत पर छूटने की तिथि	अपराध के आरोप	बरी या सजा	की गयी सजा	धारा–428 Cr.p.c. के उद्देश्य से अभियुक्त के हिरासत में निरूद्धि की अवधि
01 02 03	हरी सिंह पाल चरन उर्फ रामचरन पाल श्रीमती सम्पत पाल			धारा 498ए, 304बी० भा०दं०सं० व धारा–3/4 डी०पी०एक्ट वैकल्पिक धारा 302 सपठित धारा 34 भा०दं०सं०			

फार्म सी

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालय साक्षीगण की सूची–

ए. अभियोजन–

क्रम सं०	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
पी.डब्लू–1	धरम	वादी मुकदमा
पी.डब्लू–2	श्रीमती प्रेम	साक्षी
पी.डब्लू–3	सुशेन्द्र कुमार	साक्षी
पी.डब्लू–4	शंकर पाल	साक्षी
पी.डब्लू–5	बालकृष्ण सिंह	तहसीलदार
पी.डब्लू–6	राजकुमार यादव	पुलिस साक्षी
पी.डब्लू–7	डा० गौतम चन्द्र वर्मा	डाक्टर साक्षी
पी.डब्लू–8	राम प्रवेश राय	पुलिस साक्षी, विवेचक
पी.डब्लू–9	राजेन्द्र	साक्षी
पी.डब्लू–10	चन्दू	साक्षी
पी.डब्लू–11	चन्द्रप्रकाश तिवारी	साक्षी

बी० प्रतिरक्षा साक्षी–

कोई नहीं

सी– न्यायालय साक्षी, यदि कोई हो,

कोई नहीं

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालय प्रदर्शों की सूची–

ए. अभियोजन

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण/उल्लेख
1.	प्रदर्श क–1/पी.डव्लू. 1	तहरीर
2–	प्रदर्श क–2/ पी.डव्लू.5	पंचायतनामा
3–	प्रदर्श क–3/ पी.डव्लू.5	चिट्ठी आर०आई०
4–	प्रदर्श क–4/पी.डब्लू.5	चिट्ठी सी०एम०ओ०
5–	प्रदर्श क–5/पी.डब्लू.5	फोटो नाश
6–	प्रदर्श क–6/पी.डब्लू.5	चालान नाश
7–	प्रदर्श क–7/पी.डब्लू.6	प्रथम सूचना रिपोर्ट

8–	प्रदर्श क–8/पी.डब्लू.6	कायमी जी०डी०
9–	प्रदर्श क–9/पी.डब्लू.7	पोस्टमार्टम रिपोर्ट
10–	प्रदर्श क-10/पी.डब्लू.8	आरोप पत्र
11–	प्रदर्श क-11/पी.डब्लू.8	नक्शा नजरी
12–	प्रदर्श क-12/पी.डब्लू.8	गिरफ्तारी प्रपत्र
13–	वस्तु प्रदर्श-1/पी.डब्लू.8	फोटो ग्राफ लाश
14–	वस्तु प्रदर्श-2/पी.डब्लू.8	फोटो ग्राफ लाश
15–	वस्तुप्रदर्श-3/पी.डब्लू.8	शादी का कार्ड

निर्णय

1. प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण हरी सिंह पाल, चरन उर्फ रामचरन पाल व श्रीमती सम्पत पाल का विचारण थाना महोबा की पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 125/2022, अन्तर्गत धारा 498ए, 304बी भारतीय दण्ड संहिता व धारा–3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अपराध में प्रेषित आरोप पत्र पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा प्रसंज्ञान लेने व धारा 207 दं०प्र०सं के अन्तर्गत प्रदान करने के उपरान्त सत्र सुपुर्द किये जाने पर इस न्यायालय द्वारा किया गया।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक यह है कि वादी मुकदमा धरम पुत्र श्री प्यारे ने प्रभारी निरीक्षक थाना महोबा को इस आशय की तहरीर दी कि उसकी लड़की विमलेश की शादी हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार 04 वर्ष पूर्व हरीसिंह पुत्र चरन सिंह के साथ ग्राम रैपुराकलां में थाना महोबा जिला महोबा में हुयी थी। शादी में उसने अपनी सामर्थ्य के अनुसार 80,000/– रूपये नगद व एक प्लेटना मोटर साईकिल तथा 70,000/– रूपये का दहेज का सामान दिया था। शादी होकर उसकी लडकी जैसे ही ससुराल गई तो उसका पति हरीसिंह, ससुर चरन पुत्र साधूराम, सास श्रीमती सम्पत पत्नी चरन, जेठ ख्याली पुत्र चरन, जेठानी श्रीमती सोमवती पत्नी ख्याली कहने लगे कि उसके पिता ने 30,000/– रूपये और एक भैंस नहीं दी है और उसकी लड़की को अतिरिक्त दहेज के लिये प्रताडित करने लगे। उसकी लडकी जब विदा होकर घर आई तो उसको व परिवार वालो को व रिश्तेदारों को यह बात बताई कि ससुराल के सभी लोग 30,000/– रूपये और एक भैस की मांग करते है और उसे परेशान करते है तो उसने ससुराल वालो से आरजू मिन्नत की और कहा कि वह गरीब आदमी है जो कुछ उसके पास था तो उसने दे दिया और अब अतिरिक्त दहेज देने में असमर्थ है। उसकी लडकी को अतिरिक्त दहेज के लिये प्रताडित न करो, परन्तु वह नहीं माने और उसकी लडकी को मारने–पीटने लगे और कई तरीके से परेशान करने लगे। दिनांक 23.03.2022 को 12:00 बजे पनवाड़ी पुलिस द्वारा सूचना मिली कि उसकी लडकी को जलाकर मार दिया गया है तो वह लड़की की ससुराल रैपुराकलां गया तो पता चला कि उपरोक्त सभी ससुराल वालो ने एक राय होकर उसके द्वारा अतिरिक्त दहेज की पूर्ति न कर पाने के कारण उसकी लड़की को जला कर मार डाला है। वह

घटना की रिपोर्ट करने आया है। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि उक्त सभी ससुरालीजनो के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कर उचित कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें। श्रीमान जी की महान कृपा होगी।

3. वादी मुकदमा की उपरोक्त तहरीर के आधार पर थाना अजनर पर मु०अ०सं० 125/2022 धारा–323, 498ए, 304बी भा०दं०सं० व धारा– 3/4 डी०पी०एक्ट के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट अभियुक्तगण हरी सिंह, चरन सिंह, श्रीमती सम्पत, ख्याली व श्रीमती सोमवती के विरूद्ध दर्ज की गयी। प्रकरण की विवेचना की गई। विवेचक ने आवश्यक अभिलेखों का इन्द्राज अपनी केस डायरी में किया तथा वादी मुकदमा व अन्य गवाहान के बयान अंकित किये तथा घटनास्थल का निरीक्षण करके नक्शानजरी तैयार किया। विवेचनाधिकारी ने विवेचना उपरान्त पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण ख्याली व श्रीमती सोमवती की नामजदगी गलत पायी तथा अभियुक्तगण हरी सिंह पाल, चरन उर्फ रामचरन पाल व श्रीमती सम्पत पाल के विरूद्ध आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 498ए, 304बी भारतीय दण्ड संहिता व धारा–3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत अवर न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

4. अभियुक्तगण के विरूद्ध दिनांक 12.07.2022 को धारा–498ए, 304बी भा० दं० सं० व धारा–3/4 डी०पी०एक्ट तथा विकल्प में धारा 302 सपठित धारा 34 भा०दं०सं० के अंतर्गत आरोप विरचित किये गये जिससे अभियुक्तगण ने इन्कार किया तथा परीक्षण की याचना की।

5. अभियोजन पक्ष द्वारा अपने केस के समर्थन में कुल 11 साक्षियों को परीक्षित किया गया।

6. अभियोजन साक्ष्य समाप्त कर बयान अभियुक्तगण का बयान अन्तर्गत धारा–313 दं0प्र०सं0 अंकित किये गये, जिसमें अभियुक्तगण ने घटना से इंकार करते हुए तथ्य के साक्षीगण ने उनके खिलाफ कोई साक्ष्य न देने का कथन किया है तथा तथा औपचारिक साक्षीगण के बारे में यह कथन किया है उन्होंने गलत बयान दियें हैं तथा यह भी कथन किया है कि गांव के विरोधियों के कहने पर मुकदमा चला है तथा उन्होंने यह कहा है कि वे निर्दोष हैं। उनके द्वारा किसी प्रकार की घटना कारित नहीं की गयी है, बल्कि गांव के विरोधियों के कहने पर झूठा मुकदमा लिखा है। मृतका पेट की बीमारी से परेशान थी इसलिए उसने आत्महत्या की है। अभियुक्तगण ने अपने बचाव में साक्ष्य देने से मना किया है।

7. मैंने विद्वान सहायक जिला सहायक अधिवक्ता (फौजदारी) व अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस विस्तारपूर्वक सुनी गयी तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य का गहनतापूर्वक परिशीलन किया गया।

8. अभियोजन की ओर से पी0 डब्लू0 1 के रूप में वादी मुकदमा धरम को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में शपथपूर्वक कथन किया है कि उसकी पुत्री का नाम विमलेश था। उसकी शादी उसने हरि सिंह पुत्र चरन सिंह के साथ बयान की तिथि 22.09.2022 से लगभग पाँच वर्ष पूर्व की थी। शादी के बाद उसकी पुत्री ससुराल में प्रसन्नचित रहती थी। उसकी पुत्री के ससुर चरन, पति हरिसिंह, सास श्रीमती सम्पत, जेठ ख्याली, जेठानी सोमवती उसे प्रेमपूर्वक रखते थे, उससे कभी भी कोई दहेज की मांग व प्रताड़ित नहीं करते थे। उसकी बच्ची ने बीमारी की वजह से स्वयं जलकर आत्महत्या कर ली है। गवाह को पत्रावली में संलग्न कागज संख्या–5 क तहरीरी प्रार्थना पत्र दिखाया गया पढ़कर सुनाया गया गवाह ने सुनकर समझकर कहा कि वह इस पर लिखे हुये सभी तथ्यों से इंकार करता है, केवल इस पर अपने निशानी अंगूठा की पुष्टि करता है, जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया। पुत्री की मृत्यु की सूचना मिलने पर वह पुत्री की ससुराल भी पहुँचा था। पुलिस ने पंचायतनामा भरा था। इसके बाद पोस्टमार्टम हुआ था। पोस्टमार्टम के बाद उसकी पुत्री का पति हरि सिंह पुत्री विमलेश का शव गांव ले जाकर उसका हिन्दू रीति रिवाज से दाह संस्कार किया था। उसकी पुत्री को हाजिर अदालत अभियुक्त हरि सिंह व चरन उर्फ रामचरन पाल व श्रीमती सम्पत पाल ने दहेज में तीस हजार रूपया व एक भैस न मिलने पर जलाकर नहीं मारा है और न ही दहेज के लिये प्रताड़ित किया है। गवाह को अभियोजन की प्रार्थना पर पक्षद्रोही घोषित किया गया हैं।

9. अभियोजन की ओर से पी0 डब्लू0 2 के रूप में श्रीमती प्रेम को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में शपथपूर्वक कथन किया है कि उसकी दो पुत्रियां व दो पुत्र हैं। बड़ी पुत्री का नाम अभिलाषा व छोटी पुत्री का नाम विमलेश है। उसने दोनो पुत्रियों की शादी एक साथ दिनांक 22.05.2018 को पाल समाज सम्मेलन राठ से की थी। उसने बड़ी पुत्री अभिलाषा की शादी प्रमोद पुत्र राजाराम निवासी सुमेडी के साथ की थी व छोटी पुत्री विमलेश की शादी हरी सिंह पुत्र चरन सिंह निवासी रैपुराकला थाना महोबा से करीब पाँच वर्ष पूर्व की थी। शादी हमने राजीखुशी से व अपनी क्षमतानुसार दान दहेज देकर विदा कर दी थी। शादी के बाद उसकी लड़की विमलेश ने उसके ससुरालीजनों के द्वारा प्रताड़ित करने व मारपीट करने व अतिरिक्त दहेज की मांग करने के सम्बन्ध में उससे कोई शिकायत नहीं की थी। उसकी पुत्री विमलेश के पति हरी सिंह व ससुर रामचरन पाल, सास सम्पत पाल, जेठ ख्याली, जेठानी श्रीमती सोमवती ने दहेज में तीस हजार रूपया व एक भैंस की मांग कभी नहीं की है और न उनके द्वारा जलाकर मारा है और न ही दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किया है। उसकी पुत्री बीमार रहती थी। पेट में भयंकर दर्द रहता था, जिसका इलाज वे लोग व ससुरालीजन कराते रहे। इस बीमारी की वजह से उसने स्वयं आत्महत्या कर ली है। गवाह को अभियोजन की प्रार्थना पर पक्षद्रोही घोषित किया गया है।

10. अभियोजन की ओर से पी0 डब्लू0 3 के रूप में सुशेन्द्र कुमार को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में शपथपूर्वक कथन किया है कि वह दो भाई व दो बहिने है। बहिने उससे बड़ी थी। बड़ी बहिन अभिलाषा है व छोटी बहिन विमलेश थी। उसका छोटा भाई राजेन्द्र कुमार उम्र 15 वर्ष है। उसके माता पिता ने दोनो बहिनों की शादी दिनांक 22.05.2018 को पाल समाज सम्मेलन, राधा कृष्ण मन्दिर, कस्बा राठ जनपद हमीरपुर से बड़ी बहिन अभिलाषा की शादी प्रमोद कुमार के साथ व विमलेश की शादी हरी सिंह के साथ की थी। शादी उसके माता पिता ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार की थी। शादी के बाद जब भी उसकी बहिन विमलेश मायके आती थी। उसने उसे कभी भी यह नहीं बताया कि उसके ससुर चरन, पति हरि सिंह, सास श्रीमती सम्पत, जेठ ख्याली, जेठानी सोमवती उससे दहेज में तीस हजार रूपया व एक भैस की मांग करते है और प्रताडित करते है। उसकी बहिन विमलेश के एक पुत्र भी पैदा हुआ था कि जिसका नाम नीरज है। उसकी बहिन बीमार रहती थी उसके पेट में भयंकर दर्द रहता था। इसी दर्द की वजह से परेशान होकर उसने स्वयं आग लगाकर आत्महत्या कर ली है। गवाह को अभियोजन की प्रार्थना पर पक्षद्रोही घोषित किया गया है।

11. अभियोजन की ओर से पी0 डब्लू0 4 के रूप में शंकर पाल को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में शपथपूर्वक कथन किया है कि उसके भाई का नाम धरम है उनकी दो पुत्रियां अभिलाषा व विमलेश थी। दोनो की शादियां दिनांक 22.05.2018 को पाल समाज सम्मेलन राधा कृष्ण मन्दिर राठ से सम्पन्न कराया था। बड़ी पुत्री अभिलाषा की शादी प्रमोद पुत्र राजाराम निवासी सुमेडी थाना लवकुशनगर जिला छतरपुर म०प्र० व छोटी पुत्री विमलेश की शादी हरी सिंह पुत्र चरन पाल निवासी रैपुराकला थाना कोतवाली महोबा के साथ की थी। शादी में उसके भाई घरम ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार खर्च कर दोनों बच्चियों को विदा किया था। विमलेश शादी के बाद घर आयी थी तो उसने ससुरालीजनों द्वारा प्रताड़ित करने की बात घर पर नहीं बतायी। विमलेश के पति हरी सिंह व सास सम्पत व ससुर चरन, जेठ ख्याली, जेठानी सोमवती ने अतिरिक्त तीस हजार रूपये व एक भैंस की मांग नहीं की है। विमलेश को ससुरालीजनों द्वारा शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न नहीं किया गया है और विमलेश को ससुराल वालों ने आग लगाकर नहीं मारा है। गवाह को अभियोजन की प्रार्थना पर पक्षद्रोही घोषित किया गया है।

12. अभियोजन की ओर से पी0 डब्लू0 5 के रूप में बालकृष्ण सिंह को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में शपथपूर्वक कथन किया है कि वह दिनांक 23.03.2022 को तहसीलदार महोबा के पद पर तैनात था। उप जिला मजिस्ट्रेट महोबा के आदेश से मृतका विमलेश पाल पत्नी हरी सिंह पाल निवासी रैपुराकला के शव का पंचायतनामा की कार्यवाही करने हेतु जिला अस्पताल महोबा गया था। वहाँ पर मृतका के परिवारीजन व

ससुरालीजन उपस्थित थे जो विलाप कर रहे थे। वही पर कोतवाली महोबा के एस०आई० रमाकान्त शुक्ला व आरक्षियों सहित व महिला कान्सटेबल कोमल गुप्ता सभी आवश्यक प्रपत्रों सहित उपस्थित थे। मृतका विमलेश के शव को मोरचरी के बाहर निकलवाया गया था। उपस्थित लोगो में से पाँच व्यक्तियों को पंचान नियुक्त किया गया था। मृतका विमलेश के शव को महिला आरक्षी कोमल गुप्ता से शर्म और हया का ख्याल रखते हुये निरीक्षण करवाया गया। मृतका का सम्पूर्ण शरीर जला हुआ था और जले हुये कपड़े चिपके हुये थे और जाहिरा कोई चोट नजर नहीं आ रही थी। मृतका की मृत्यु जल जाने से हुयी है। उसकी राय व पंचानों की राय मेल खाती थी फिर भी मृत्यु का सही कारण जानने के लिये मृतका के शव का पोस्टमार्टम कराया जाना आवश्यक था क्योंकि मृतका की मृत्यु शादी के सात वर्ष के अन्दर हुयी है। पंचायतनामा की कार्यवाही 13:10 मिनट से शुरू होकर 15:10 तक पूर्ण हुयी थी। पंचायतनामा की कार्यवाही उसके द्वारा बोल–बोल करके एस०आई० रमकान्त शुक्ला से लिखकर तैयार करवायी गयी थी व मृतका के शव को किट में रखकर सील सर्वमुहर कर नमूना मुहर तैयार किया था। पंयातनामा पर पंचानों के हस्ताक्षर करवाये थे। पत्रावली में संलग्न कागज संख्या–11क/1 लगायत 11क/3 पंचायतनामा है, कागज संख्या–11क/4 चिट्ठी आर०आई०, कागज संख्या–11क/5 चिट्ठी सी०एम०ओ०, कागज संख्या–11क/6 फोटोनाश, कागज संख्या–11क/7 लगायत 11 क/8 चालान नाश है, इस पर लिखे हुये सभी तथ्य व एस०आई० रमाकान्त शुक्ला के हस्तलेख व अपने हस्ताक्षर की पुष्टि करता है, जिन पर कमशः प्रदर्श क–2 लगायत प्रदर्श क–6 डाला गया। मृतका के शव को सभी आवश्यक प्रपत्रों सहित महिला कान्सटेबल कोमल गुप्ता व होमगार्ड मनमोहन सिंह को वास्ते पोस्टमार्टम सुपुर्द कर दिया था। विवेचक ने उसका बयान लिया था।

13. अभियोजन की ओर से पी0 डब्लू0 6 के रूप में हेड कान्सटेबल राजकुमार यादव को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में शपथपूर्वक कथन किया है कि वह दिनांक 24.03.2022 को कोतवाली महोबा में हेड कान्सटेबल के पद पर थाना कार्यालय में तैनात था। उसी दिन वादी धरम पुत्र मनप्यारे निवासी ग्राम नटर्रा थाना पनवाड़ी की टाईपशुदा तहरीर से प्रभारी निरीक्षक के आदेश से मु०अ०सं०–125/2022 बनाम हरी सिंह पाल आदि पाँच नफर अन्तर्गत धारा–323, 498ए 304बी भा०दं०सं० व 3/4 डी०पी० एक्ट पंजीकृत कर कम्प्यूटर ऑपरेटर से बोल बोलकर किता कराया था जिसका खुलासा उसी दिन उसके द्वारा जी०डी० नं0–83 समय 22:12 बजे कम्प्यूटर पर बोल–बोलकर फीड कराया था। उसकी तैनाती के समय थाना कोतवाली महोबा में बलराम सिंह प्रभारी निरीक्षक के पद पर तैनात थे। वह इनको लिखते–पढ़ते हस्ताक्षर करते देखता रहा है। पत्रावली में संलग्न कागज संख्या–4क/1 लगायत 4 क/3 चिक एफ०आई०आर० है, जिस पर लिखे हुये तथ्य व

प्रभारी निरीक्षक के हस्ताक्षर की पुष्टि करता है, जिस पर प्रदर्श क–7 डाला गया। पत्रावली में संलग्न कागज संख्या–7 क कायमी जी०डी० की कम्प्यूटराइज्ड प्रति है, जिस पर लिखे हुये सभी तथ्य व अपने हस्ताक्षर की पुष्टि करता है, जिस पर प्रदर्श क–8 डाला गया। विवेचक ने उसका बयान लिया था।

14. अभियोजन की ओर से पी0 डब्लू0 7 के रूप में डाक्टर गौतमचन्द्र वर्मा को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में शपथपूर्वक कथन किया है कि वह दिनांक 24.03.2022 को जिला चिकित्सालय महोबा में पोस्टमार्टम डयूटी पर तैनात था। डॉ० कृपाराम राजूपत उसके साथ पोस्टमार्टम पैनल में उपस्थित थे। उस दिन महिला कान्सटेबल कोमल गुप्ता व कान्सटेबल अभिषेक पाण्डेय के द्वारा एक शव श्रीमती विमलेश पाल उम्र 22 वर्ष महिला पत्नी हरी सिंह निवासी रैपुराकला थाना कोतवाली महोबा जिला महोबा जिसकी शिनाख्त रामकुमार जेठ और गोकुल ससुर द्वारा की गयी, पोस्टमार्टम के लिये लायी गयी थी। शव के साथ ग्यारह पुलिस प्रपत्र शामिल थे। उस दिन पोस्टमार्टम हेतु पुलिस प्रपत्र व शव 03:35 पी०एम० प्राप्त किया एवं 03:40 पी०एम० पर पोस्टमार्टम शुरू किया गया। शव को पोस्टमार्टम टेबल पर चित अवस्था में लेटाया गया जिसकी शारीरिक बनावट मध्यम औसत कद काठी की थी। शव में पॉजिलिस्टिक एटीट्यूड मौजूद था और मृत्यु पश्चात की अकड़न मास पेशिया जल जाने के कारण ज्ञात नहीं हो सकी।

<u>मृत्यु पूर्व की चोटे</u>

सूपरफीसियल टू डीप बर्न पूरे शरीर पर मौजूद थी। सिर के बाल झुलसे हुये थे।

<u>आंतरिक परीक्षण</u>

मस्तिष्क का वजन 1080 ग्राम, कंजेस्टेड था। स्वास नली के अंदरूनी हिस्से में सूट पार्टिकल मौजूद थे। हायड बोन सामान्य थी। दाहिना फेफड़ा 380 ग्राम व बाया फेफड़ा 340 ग्राम था, कंजेस्टेड था। हृदय का दाहिना चैम्बर भरा हुआ था और बाया चैम्बर खाली था। अमाशय में 100 एम०एल० तरल पदार्थ मौजूद था। छोटी आंत में मल व बड़ी आंत में मल व गैसेस मौजूद था। लीवर का वजन 1090 ग्राम व कंजेस्टेड था। प्लीहा का वजन 150 ग्राम व कंजेस्टेड था। दायी किडनी का वजन 93 ग्राम था व बायी किडनी 90 ग्राम कंजेस्टेट था। गर्भाशय व जननांग सामान्य थे। डाक्टर की राय में शरीर ज्यादा जलने की वजह से मृतका की मृत्यु का सम्भावित समय का आंकलन नहीं किया जा सका। मृतका की मृत्यु शॉक डयू टू एन्टीमार्टम बर्न इंजरी होना पाया गया। मृतका के शव से डी०एन०ए० परीक्षण के लिये बाये कलैविकल बोन प्रिजर्व की गयी। मृतका की मृत्यु दिनांक 23.10.2022 को समय 10:00 से 12:00 बजे के मध्य आग से जलने से आयी चोटों से होना सम्भव हो सकता है। मृतका के शव का पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार कर सहयोगी डा० कृपाराम राजपूत के हस्ताक्षर कराकर पी०एम०

रिपोर्ट तैयार कर समस्त संलग्नकों सहित मृतका के शव को महिला कान्सटेबल कोमल गुप्ता को सुपुर्द किया गया था। पत्रावली में संलग्न कागज संख्या 12क/1 लगायत 12क/2 पोस्टमार्टम रिपोर्ट है जो उसके लेख व हस्ताक्षर में है। इस पर लिखे हुये सभी तथ्य व अपने हस्ताक्षर व सहयोगी डाक्टर कृपाराम राजपूत के हस्ताक्षर की पुष्टि करता है, जिस पर प्रदर्श क–9 डाला गया। विवेचक ने उसका बयान लिया था।

15. अभियोजन की ओर से पी0 डब्लू0 8 के रूप में क्षेत्राधिकारी रामप्रवेश राय को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में शपथपूर्वक कथन किया है कि वह दिनांक 24.03.2022 को क्षेत्राधिकारी नगर महोबा के पद पर तैनात था। उस दिन उसे अपराध संख्या–125/2022 अन्तर्गत धारा–323, 498ए, 304बी भा०दं०सं० व 3/4 डी०पी० एक्ट बनाम हरी सिंह आदि की विवेचना ग्रहण की। उसी दिन उसने सी०डी० का पर्चा नं0–1 किता कर अवलोकन नकल चिक, नकल रपट व बयान कायमी लेखक हे०कां० राजकुमार यादव व बयान वादी धरम व बयान भाई मृतका सुशेन्द्र कुमार व वादी के द्वारा शादी का कार्ड व वादी की निशादेही पर घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शानजरी तैयार कर व उसी दिन उसने नकल पंचायतनामा मृतका श्रीमती विमलेश पाल व पोस्टमार्टम रिपोर्ट का विवरण अंकित किया व उपनिरीक्षक रमाकान्त शुक्ला के द्वारा घटनास्थल पर मृतका के जले हुये शव के फोटोग्राफ लिये गये थे उसका विवरण अंकित किया व अभी तक के मिले साक्ष्य में धारा–323 भा०दं०सं० का कोई साक्ष्य न मिलने पर अग्रिम विवेचना धारा 498ए, 304 बी भा०दं०सं० व 3/4 डी०पी० एक्ट के अन्तर्गत होगी, का विवरण अंकित किया। दिनांक 27.03.2022 को सी०डी० का पर्चा नं0–2 किता कर अभियुक्तगण हरी सिंह आदि की गिरफतारी व बयान अभियुक्तगण का बयान लेकर विवरण अंकित किया। दिनांक 30.03.2022 को पर्चा नं०–3 किता कर अभियुक्तगण के रिमाण्ड सम्बन्धी विवरण अंकित किया। दिनांक 03.04.2022 का पर्चा नं0–4 किता कर बयान भाई मृतका सुशेन्द्र कुमार व बयान दादा मृतका शंकर का विवरण अंकित किया। दिनांक 12.04.2022 को पर्चा नं0–5 किता कर अभियुक्तगण के रिमाण्ड सम्बन्धी विवरण अंकित किया। दिनांक 15.04.2022 कोपर्चा नं0–6 किता कर बयान मृतका की मॉ श्रीमती प्रेम व बयान पंचायतनामा गवाह रघुराज सिंह व बयान पंचायतनामा गवाह राकेश कुमार का विवरण अंकित किया। दिनांक 18.04.2022 को पर्चा नं0–7 किता कर पंचायतनामा गवाह सुभाष यादव, चन्दू, चन्द्रप्रकाश व बयान एस०आई० रमाकान्त शुक्ला व बयान पी०एम० कराने वाले पुलिस आरक्षी अभिषेक पाण्डेय व महिला आरक्षी कोमल गुप्ता व बयान मजिस्ट्रेट/तहसीलदार बालकृष्ण सिंह का विवरण अंकित किया। दिनांक 25.04.2022 को पर्चा नं0–8 में अभियुक्तगण के रिमाण्ड सम्बन्धी विवरण अंकित किया। दिनांक 25.04.2022 को पर्चा नं0–9 किता कर बयान बिचौलिया नृपत पाल व बयान डाक्टर गौतम

चन्द्र वर्मा व डा० कृपा राम राजपूत व स्वतंत्र साक्षी प्रकाश तिवारी व बयान स्वतंत्र साक्षी माखन सिंह यादव का विवरण अंकित किया। दिनांक 30.04.2022 को पर्चा नं0–10 किता कर बयान स्वतंत्र साक्षी भान सिंह व चन्द्रभान का विवरण अंकित किया। दिनांक 05.05.2022 को पर्चा नं0–11 किता कर स्वतंत्र साक्षी टीकाराम यादव व हरी सिंह व गम्भीर सिंह का विवरण अंकित किया व अभी तक की विवेचना में एफ०आई०आर० में नामित अभियुक्त ख्याली पुत्र चरन उर्फ रामचरन व श्रीमती सोमवती पत्नी ख्याली के विरूद्ध कोई साक्ष्य न मिलने व अभियुक्तगण से अलग रहने से नामजदगी गलत पाये जाने का व अपराध में कोई संलिप्तता न पाये जाने व बयान आरोपी ख्याली व बयान अभियुक्ता श्रीमती सोमवती का विवरण अंकित किया व अभी तक की तमामी विवेचना में शेष अभियुक्तगण के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर आरोप पत्र संख्या–166/2022 अन्तर्गत धारा 498ए, 304बी भा०दं०सं० व 3/4 डी०पी० एक्ट दिनांक 05.05.2022 को न्यायालय भेजे जाने का विवरण अंकित किया। पत्रावली में संलग्न कागज संख्या–3क/1 लगायत 3क/9 आरोप पत्र है जिस पर लिखे हुये सभी तथ्य व अपने हस्ताक्षर की पुष्टि करता है, जिस पर प्रदर्श क–10 डाला गया। पत्रावली में संलग्न कागज संख्या–8क घटनास्थल का नक्शानजरी है जो वादी की निशादेही तैयार किया गया है, जिस पर लिखे हुये सभी तथ्य व अपने हस्ताक्षर की पुष्टि करता है, जिस पर प्रदर्श क–11 डाला गया। पत्रावली में संलग्न कागज संख्या–9क/1 व 9क/2 जली हुयी लाश के फोटोग्राफ है व पत्रावली में संलग्न कागज संख्या–10क शादी का कार्ड है जो वादी के द्वारा उसे उपलब्ध कराया गया था, जिन पर कमशः वस्तु प्रदर्श–1, 2 व 3 डाला गया। पत्रावली में संलग्न कागज संख्या–14क अभियुक्तगण के गिरफतारी प्रपत्र है जो उसके अधीनस्थ एस०आई० रमाकान्त शुक्ला द्वारा तैयार किया गया इस पर लिखे हुये सभी तथ्य व एस०आई० रमकान्त शुक्ला के हस्ताक्षर की पुष्टि करता है, जिस पर प्रदर्श क–12 डाला गया।

16. अभियोजन की ओर से पी0 डब्लू0 9 के रूप में राजेन्द्र को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में शपथपूर्वक कथन किया है कि उसकी बहन विमलेश की शादी हरी सिंह पुत्र चरन सिंह निवासी ग्राम रैपुराकला थाना महोबा के साथ बयान की तिथि 22.04.2024 से लगभग छ–सात साल पूर्व हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार हुयी थी। शादी के बाद से उसकी बहन विमलेश ससुराल में हंसी खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रही थी व अपने ससुरालीजनों से प्रसन्न रहती थी। विमलेश के ससुरालीजन ससुर चरन, पति हरी सिंह, सास श्रीमती सम्पत, जेठ ख्याली, जेठानी सोमवती ने कभी भी विमलेश से कोई अतिरिक्त दहेज की मांग नहीं की और न ही दहेज के सम्बन्ध में उसकी बहन को कभी भी प्रताडित किया। उसकी बहन विमलेश को अक्सर पेट में दर्द रहता था व बीमार रहती थी। उसकी बहन विमलेश के एक पुत्र पैदा हुआ था। पुत्र पैदा होने के बाद से विमलेश के पेट में और ज्यादा दर्द

होने लगा था और बीमारी बढ़ गयी थी जिससे परेशान होकर उसकी बहन विमलेश ने स्वयं जलकर आत्महत्या कर ली थी। विवेचक ने उसका कोई बयान नहीं लिया था। गवाह को अभियोजन की प्रार्थना पर पक्षद्रोही घोषित किया गया है।

17. अभियोजन की ओर से पी0 डब्लू0 10 के रूप में चन्दू को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में शपथपूर्वक कथन किया है कि वर्तमान में गांव का प्रधान है। दिनांक 23.03.2022 को हरी सिंह पाल की पत्नी विमलेश ने आग लगा ली थी जिससे उसकी मृत्यु हो गयी थी। दिनांक 23.03.2022 को समय लगभग दस बजे दिन हरी सिंह के घर से शोर व धुआ देखकर वे लोग वहीं गये थे तो देखा था कि हरी सिंह की पत्नी विमलेश ने आग लगा ली थी। उन लोगो ने आग बुझाने का प्रयास किया था लेकिन उसकी मृत्यु हो गयी थी। घटना के समय मृतका विमलेश के ससुरालीजन खेतों पर थे। इसके बाद वह जिला अस्पताल महोबा गया था। मृतका विमलेश का पंचायतनामा उसके सामने हुआ था। उसने पंचायतनामा में हस्ताक्षर किये थे। उसके सामने विमलेश की मृत्यु के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र प्रमोद कुमार द्वारा लिखा गया था जिसे पढ़कर उसने भी हस्ताक्षर किये थे। दरोगा जी ने घटना के सम्बन्ध में उसका बयान लिया था। गवाह को बयान अन्तर्गत धारा 161 दं०प्र०सं० पढ़कर सुनाया गया तो गवाह ने कहा कि उसने यही बयान दरोगा जी को दिया था। गवाह ने पत्रावली में संलग्न कागज संख्या–11 क/9 प्रार्थना पत्र को देखकर कहा कि यह प्रार्थना पत्र उसके सामने प्रमोद कुमार द्वारा लिखा गया था। वह इस पर लिखे सभी तथ्य व प्रमोद कुमार के लेख व अपने हस्ताक्षर की पुष्टि करता है। गवाह ने पत्रावली में संलग्न कागज संख्या 11 क/1 लगायत 11 क/4 पंचायतनामा प्रदर्श क–2 में बने अपने हस्ताक्षर को देखकर व पहचान कर पुष्टि की।

18. अभियोजन की ओर से पी0 डब्लू0 11 के रूप में चन्द्र प्रकाश तिवारी को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में शपथपूर्वक कथन किया है कि वह अपने गाँव के रामचरन पाल व उसके परिवार के लोगो को भलीभाति जानता–पहचानता है। रामचरन के छोटे बेटे हरीसिंह पाल की शादी ग्राम नटर्रा में हुयी थी उसकी पत्नी का नाम विमलेश था। शादी पाल समाज के सामूहिक विवाह सम्मेलन से बिना दहेज के राठ से हुयी थी। हरी सिंह पाल की पत्नी विमलेश के पेट में दर्द रहता था जिसके विषय में हरी सिंह पाल ने उसे बताया था। हरी सिंह का भाई ख्याली अपनी पत्नी बच्चों के साथ अलग रहता था व खेती पाती थी अलग–अलग थी। दिनांक 23.03.2002 को वह समय लगभग दस बजे सुबह हरी सिंह पाल के दरवाजे से निकला था उस समय हरी सिंह पाल के मकान के अन्दर से धुंआ निकल रहा था तो उसी समय मुहल्ले के और भी काफी लोग आ गये थे। उन लोगों ने हरी सिंह पाल के घर के अन्दर देखा तो घर के अन्दर विमलेश ने आग लगा ली थी लेकिन उस समय घर में विमलेश के

अलावा और कोई नहीं था। विमलेश के परिवार के सभी लोग घटना के समय खेतों में थे। उन लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन विमलेश बुरी तरह जल चुकी थी। मुहल्ले वालों ने सूचना दी तब विमलेश का पति व उसके घर वालें आये और विमलेश को जिला अस्पताल महोबा वे लोग लेकर गये थे जहाँ पर डाक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया था। पंचायतनामा की कार्यवाही उसके सामने हुयी थी। गवाह को पत्रावली में संलग्न प्रदर्श क –2 पंचायतनामा में लिखी राय पढ़कर सुनायी गयी व दिखाया गया तो गवाह ने कहा कि इस पर लिखी राय सही है व वह इस पर बने अपने हस्ताक्षर की पुष्टि करता है। दरोगा जी ने घटना के विषय में उससे कोई पूछताछ नहीं की थी और न ही उसका बयान लिया था।

बहस अभियोजनः–

19. अभियोजन की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि मृतका की मृत्यु अभियुक्तगण द्वारा कारित की गई है। अभियुक्तगण द्वारा ही एक राय होकर मृतका की हत्या की है। मृतका 100 प्रतिशत जली हुई थी। यदि मृतका स्वयं आग लगाती, तो वह 100 प्रतिशत नहीं जल सकती। उसको अभियुक्तगण द्वारा पकड़कर आग लगाई गई और उसकी हत्या की गई, क्योंकि जहाँ उसकी हत्या हुई, जहाँ वह जली, उस कमरे में किसी भी सामान को आग नहीं पकड़ी। ना तो दीवार में आग लगी, ना उसमें रखे हुए सामान में आग लगी, न दरवाजे में आग लगी, ना दरवाजा तोड़ा गया। समस्त परिस्थितियाँ यह दर्शाती हैं कि अभियुक्तगण द्वारा ही मृतका को जलाकर मारा गया, उसकी हत्या की गई। अभियुक्तगण द्वारा पूर्व में मृतका से दहेज की मांग की जाती थी और उसके पश्चात यह घटना घटित की गई।

बहस बचाव पक्षः–

20. बचाव पक्ष की ओर से कहा गया है कि अभियुक्तगण द्वारा कोई घटना कारित नहीं की गई। पीड़िता, अर्थात मृतका, बीमार रहती थी और बहुत परेशान रहती थी। इसी वजह से उसने स्वयं आग लगा ली और उसकी मृत्यु हो गई। अभियुक्तगण द्वारा कोई दहेज की मांग कभी नहीं की गई। मृतका को ससुराल वाले बहुत अच्छे से रखते थे। यदि दहेज की मांग की जाती, तो मृतका के परिवार वाले, अर्थात वादी की ओर से, उसके पूर्व कोई एफआईआर दर्ज कराई गई होती। इसके अतिरिक्त अभियोजन की ओर से प्रस्तुत तथ्य के साक्षी, जिनमें वादी मुकदमा स्वयं है, जिसने पी०डब्लू०–1 के रूप में न्यायालय में आकर साक्ष्य दिया है, उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि मृतका, अर्थात उसकी पुत्री, के ससुराल वालों द्वारा कोई दहेज की मांग नहीं की गई और वह उसे ठीक से रखते थे। उनकी पुत्री बीमार रहती थी और बीमारी के कारण ही उसने स्वयं आग लगाकर आत्महत्या कर ली। इसके अतिरिक्त पी०डब्लू०–2, पी०डब्लू०–3 व पी०डब्लू०–4 द्वारा भी अपने साक्ष्य में कहा है कि अभियुक्तगण द्वारा कोई दहेज की मांग नहीं की जाती थी। मृतका पूर्व से बीमार रहती थी, इसी वजह से उसने आत्महत्या कर ली।

ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जाए, उनके विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं है।

21 उभय पक्ष की ओर से प्रस्तुत किए गए साक्ष्य तथा उनके द्वारा दिये गये तर्कों के आधार पर अंतिम निर्णय पर पहुंचने के लिए निम्नलिखित अवधार्य बिंदुओं का विरचन किया जा रहा है–

1. क्या मृतका की मृत्यु उसके विवाह के सात वर्ष के अंदर हुई है?
2. क्या मृतका की मृत्यु अस्वाभाविक परिस्थितियों में हुई है?
3. क्या अभियुक्तगण द्वारा मृतका को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था तथा उसकी मृत्यु अभियुक्तगण के कारण हुई है, या अभियुक्तगण द्वारा उसकी हत्या की गई है?

<u>अवधार्य बिन्दु संख्या–1</u>

22. अवधार्य बिन्दु संख्या–1 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या मृतका की मृत्यु उसके विवाह के सात वर्ष के अंदर हुई है?

23. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी मुकदमा द्वारा अपनी तहरीर में यह कहा है कि उसकी पुत्री की शादी हिंदू रीति–रिवाज के अनुसार चार वर्ष पूर्व हरी सिंह से हुई थी तथा मृतका की मृत्यु दिनांक 23–03–2022 को हो गई। इसके विपरीत, इसके खंडन हेतु बचाव पक्ष की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। पी०डब्ल्यू०–1 के रूप में वादी मुकदमा ने कहा है कि उसके बयान, उसके न्यायालय में बयान देने की तिथि 22–09–2022 से लगभग पाँच वर्ष पूर्व, मृतका की शादी 22–05–2018 को होना कहा है। पी0 डब्ल्यू०–2 ने भी मृतका का विवाह हरि सिंह के साथ दिनांक 22–05–2018 को होना कहा है। पी0 डब्ल्यू0–3 व पी0 डब्ल्यू0–4 ने भी मृतका की शादी हरी सिंह के साथ दिनांक 22–05–2018 को होना कहा है। ऐसी स्थिति में स्पष्ट है कि मृतका की मृत्यु उसके विवाह से सात वर्ष के अंदर हुई है। इस प्रकार अवधार्य बिंदु संख्या एक तदनुसार निस्तारित किया जाता है।

<u>अवधार्य बिन्दु संख्या–2</u>

24. अवधार्य बिन्दु संख्या–2 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या मृतका की मृत्यु अस्वाभाविक परिस्थितियों में हुई है?

25. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी मुकदमा ने इस आशय की तहरीर थाना महोबा में प्रस्तुत की कि चार वर्ष पूर्व उसने अपनी पुत्री की शादी हरी सिंह के साथ की थी और अपने सामर्थ्य के अनुसार दान–दहेज दिया था, परंतु अभियुक्त व उसके परिवार के सदस्य तीस हज़ार रुपये और भैंस की मांग करते थे और उसको प्रताड़ित करते थे तथा उसको परेशान करते थे। दिनांक 23–03–2022 को उसे सूचना मिली कि उसकी पुत्री को अभियुक्तों द्वारा जलाकर मार दिया गया है। इससे यह स्पष्ट है कि मृतका जलकर मरी है। इस संबंध में मृतका के पोस्टमार्टम करने वाले डाक्टर साक्षी पी०डब्ल्यू०–5, डॉक्टर गौतम वर्मा, का

साक्ष्य प्रासांगिक है। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि दिनांक 24–03–2022 को वह जिला चिकित्सालय महोबा में पोस्टमार्टम ड्यूटी पर था। डॉक्टर कृपाराम राजपूत उसके साथ पोस्टमार्टम पैनल में थे। उस दिन महिला कॉन्स्टेबल कोमल गुप्ता व कॉन्स्टेबल अभिषेक पांडे द्वारा एक शव, श्रीमती विमलेश पाल, उम्र 22 वर्ष, महिला, पति हरि सिंह, पोस्टमार्टम के लिए लाई गई थी, जिसकी शिनाख्त रामकुमार जेठ व गोकुल ससुर द्वारा की गई थी। शव में प्यूजिलिस्टिक एटीट्यूड(Pugilistic Attitude) मौजूद था। मृत्यु पश्चात का समय मांसपेशियाँ जल जाने के कारण ज्ञात नहीं हो सका।

मृत्यु पूर्व की चोटे

सूपरफीसियल टू डीप बर्न पूरे शरीर पर मौजूद थी। सिर के बाल झुलसे हुये थे।

आंतरिक परीक्षण

26. मस्तिष्क का वजन 1080 ग्राम, कंजेस्टेड था। स्वास नली के अंदरूनी हिस्से में सूट पार्टिकल मौजूद थे। हायड बोन सामान्य थी। दाहिना फेफड़ा 380 ग्राम व बाया फेफड़ा 340 ग्राम था, कंजेस्टेड था। हृदय का दाहिना चैम्बर भरा हुआ था और बाया चैम्बर खाली था। अमाशय में 100 एम०एल० तरल पदार्थ मौजूद था। छोटी आंत में मल व बड़ी आंत में मल व गैसेस मौजूद था। लीवर का वजन 1090 ग्राम व कंजेस्टेड था। प्लीहा का वजन 150 ग्राम व कंजेस्टेड था। दायी किडनी का वजन 93 ग्राम था व बायी किडनी 90 ग्राम कंजेस्टेट था। भाशय व जननांग सामान्य थे। डाक्टर की राय में शरीर ज्यादा जलने की वजह से मृतका की मृत्यु का सम्भावित समय का आंकलन नहीं किया जा सका। मृतका की मृत्यु शॉक डयू टू एन्टीमार्टम बर्न इंजरी होना पाया गया। मृतका के शव से डी०एन०ए० परीक्षण के लिये बाये कलैविकल बोन प्रिजर्व की गयी। मृतका की मृत्यु दिनांक 23.10.2022 को समय 10:00 से 2:00 बजे के मध्य आग से जलने से आयी चोटों से होना सम्भव हो सकता है। पी०डब्लू० –7 के साक्ष्य स्पष्ट है कि मृतका की मृत्यु जलकर हुई थी। पी०डब्ल्यू० –7, चूँकि डॉक्टर हैं जिन्होंने पोस्टमार्टम किया है, इन्होंने अपने बयान में स्पष्ट रूप से कहा है कि डीप बर्न पूरे शरीर पर मौजूद थे, उसकी मृत्यु जलकर ही हुई है। अब प्रश्न उठता है कि उसने स्वयं आग लगाई या किसी अन्य ने लगाई, परंतु प्रत्येक स्थिति में उसकी मृत्यु प्राकृतिक नहीं थी, उसकी मृत्यु अप्राकृतिक थी।

27. उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि मृतका की मृत्यु उसके विवाह के सात वर्ष के अंदर अस्वाभाविक परिस्थितियों में हुई थी, जोकि अप्राकृतिक मृत्यु थी, तथा उसकी मृत्यु उसकी ससुराल में हुई थी। अब यह देखना है कि धारा 304–बी में वर्णित तत्व उसकी मृत्यु में आकृष्ट होते हैं या नहीं। यह स्पष्ट है कि मृत्यु प्राकृतिक नहीं थी। अब यह देखना है कि क्या अभियुक्तगण द्वारा पीड़िता से दहेज की मांग की गई तथा मानसिक रूप से क्रूरता की गई या

उसका उत्पीड़न किया गया। यदि उसका उत्पीड़न किया गया, तो दहेज मृत्यु मानी जाएगी। इसके अतिरिक्त, क्या अभियुक्तगण द्वारा उसकी मृत्यु से ठीक पूर्व क्रूरता की गई थी, और क्या अभियुक्तगण का आचरण मानवीय आचरण के अनुसार उस घटना के संबंध में कैसा था, यह देखना है। परंतु यह स्पष्ट है कि उसकी मृत्यु उसके विवाह के सात वर्ष के अंदर हुई थी और उसकी मृत्यु अस्वाभाविक परिस्थितियों में हुई थी। अतः अवधार्य बिंदु संख्या–2 तदनुसार निस्तारित किया जाता है।

<u>अवधार्य बिन्दु संख्या–3</u>

28. अवधार्य बिन्दु संख्या–3 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या अभियुक्तगण द्वारा मृतका को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था तथा उसकी मृत्यु अभियुक्तगण के कारण हुई है, या अभियुक्तगण द्वारा उसकी हत्या की गई है?

29. अभियोजन का कहना है कि अभियुक्तगण द्वारा ही मृतका की हत्या की गयी है, जबकि बचाव पक्ष का कहना है कि मृतका द्वारा स्वयं आत्महत्या की गयी है। वह बीमार रहती थी और सभी अभियोजन साक्षियों ने घटना से इंकार किया है तथा साक्षियों ने कहा है कि मृतका ने बीमारी से परेशान होकर उसने आत्महत्या की है। अब यह देखना है कि क्या अभियुक्तगण द्वारा मृतका के साथ क्रूरता की गयी और उससे दहेज की मांग की जाती थी या अभियुक्तगण ने मृतका की हत्या की है?

धारा 304–बी भारतीय दंड संहिता में यह प्रावधान किया गया है कि जहाँ किसी स्त्री की मृत्यु उसके विवाह के सात वर्ष के भीतर जलने या शारीरिक चोट के कारण अथवा अन्यथा अस्वाभाविक परिस्थितियों में होती है और यह दिखाया जाता है कि उसकी मृत्यु से ठीक पहले उसे उसके पति या उसके पति के किसी संबंधी द्वारा दहेज की मांग के संबंध में क्रूरता या उत्पीड़न किया गया था, तो ऐसी मृत्यु को दहेज मृत्यु कहा जाएगा और ऐसा पति या संबंधी उसकी मृत्यु का कारण माना जाएगा।

धारा 113–बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि जब प्रश्न यह हो कि क्या किसी व्यक्ति ने किसी स्त्री की दहेज मृत्यु कारित की है और यह दर्शाया जाता है कि उसकी मृत्यु से ठीक पहले उस स्त्री को उस व्यक्ति द्वारा दहेज की मांग के संबंध में क्रूरता या उत्पीड़न किया गया था, तो न्यायालय यह मान लेगा कि ऐसे व्यक्ति ने दहेज मृत्यु कारित की है।

30. प्रस्तुत वाद में मुकदमे के वादी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना कोतवाली महोबा में दर्ज कराई गई कि उसकी पुत्री की शादी हिंदू रीति–रिवाज के अनुसार चार वर्ष पूर्व हरी सिंह के साथ हुई थी। सामर्थ्य के अनुसार उसने दान–दहेज दिया था। शादी होकर उसकी पुत्री जैसे ही ससुराल गई, तो उसका पति हरी सिंह, ससुर चरन, सास सम्पत, जेठ ख्याली तथा जेठानी

सोमवती कहने लगे कि तुम्हारे पिता ने तीस हज़ार रुपये और एक भैंस नहीं दी है। उसकी लड़की को अतिरिक्त दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे। उसकी लड़की जब विदा होकर घर आई तो उसने यह बात बताई। उसने ससुराल वालों से विनम्र निवेदन किया कि वह गरीब आदमी है और अतिरिक्त दहेज देने में असमर्थ है, अतः उसकी लड़की को अतिरिक्त दहेज के लिए प्रताड़ित न करें। परंतु वे नहीं माने और उसकी लड़की को मारने–पीटने लगे तथा कई प्रकार से परेशान करने लगे। दिनांक 23.03.2022 को समय लगभग 12 बजे पुलिस पनवाड़ी द्वारा सूचना मिली कि उसकी लड़की को जला कर मार दिया गया है। तब वह अपनी लड़की के ससुराल रैपुराकला गया, तो पता चला कि सभी ससुराल वालों ने एकमत होकर उसके द्वारा अतिरिक्त दहेज की पूर्ति न कर पाने के कारण उसकी लड़की को जलाकर मार डाला है। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के उपरांत विवेचना की गई तथा विवेचना उपरांत थाना कोतवाली महोबा द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 498–ए, 304–बी भारतीय दंड संहिता तथा धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण हरी सिंह पाल, चरन उर्फ रामरन पाल तथा श्रीमती सम्पत पाल के विरुद्ध धारा 498–ए, 304–बी भारतीय दंड संहिता तथा धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत आरोप विरचित किए गए। विकल्प में न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 302 सपठित धारा 34 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत भी आरोप विरचित किए गए। न्यायालय में पीडब्ल्यू–1 के रूप में वादी मुकदमा को परीक्षित कराया गया। वादी मुकदमा पीडब्ल्यू–1 ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि अभियुक्तगण द्वारा उसकी पुत्री से कोई दहेज की मांग नहीं की गई, न ही उसे प्रताड़ित किया गया। उसके पुत्री के ससुर चरन, पति हरी सिंह, सास सम्पत, जेठ ख्याली तथा जेठानी सोमवती उसे प्रेमपूर्वक रखते थे। उसकी पुत्री शादी के बाद ससुराल में प्रसन्नचित्त रहती थी। अभियुक्तगण द्वारा कभी भी दहेज की मांग या प्रताड़ना नहीं की गई। उसकी बच्ची ने बीमारी की वजह से स्वयं जलकर आत्महत्या कर ली है। उसे वादी मुकदमा द्वारा दी गई तहरीर कागज संख्या–5 क दिखाया गया और पढ़कर सुनाया गया, तो उसने कहा कि उसमें लिखे हुए सभी तथ्यों से वह इनकार करता है, केवल अपने निशानी अंगूठा की पुष्टि करता है, जिस पर प्रर्दश क–1 डाला गया है। उसने यह भी कहा कि पुत्री की मृत्यु की सूचना मिलने पर वह पुत्री के ससुराल भी पहुँचा था। पुलिस ने पंचायतनामा भी भरा था। उसके बाद पोस्टमार्टम हो गया। पोस्टमार्टम के बाद उसकी पुत्री का पति हरी सिंह उसकी पुत्री का शव गाँव ले जाकर उसका हिंदू रीति–रिवाज से दाह संस्कार किया था। हाजिर अदालत अभियुक्तगण द्वारा उसकी पुत्री को दहेज के लिए प्रताड़ित नहीं किया गया था। बाद में वादी मुकदमा अपनी मुख्य परीक्षा में ही पक्षद्रोही हो गया। इसने अभियोजन कथानक का समर्थन अपनी मुख्य परीक्षा में ही नहीं किया। पीडब्ल्यू–1 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कहा है कि

उसकी पुत्री के शादी से पहले पेट में दर्द रहता था और उससे वह परेशान रहती थी। हम लोगों ने काफी इलाज भी कराया था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वह कहा करती थी कि "पिताजी, पेट में बहुत दर्द होता है, लगता है कि आत्महत्या कर लूँ।" हम लोग उसे समझा–बुझा देते थे। उसके बाद उसकी शादी कर दी गई। शादी के बाद उसके एक पुत्र नीरज का जन्म हुआ और वह ज़्यादा परेशान रहने लगी। इसी परेशानी की वजह से उसने स्वयं जलकर आत्महत्या कर ली। उसकी पुत्री का इलाज उसके ससुरालीजन भी वैद्य से कराते रहे, लेकिन उसे आराम नहीं मिला। उसे दिनांक 23.03.2022 को समय लगभग 12 बजे पुत्री के मरने की सूचना मिली थी। वह तत्काल पुत्री के ससुराल पहुँचा था। पुत्री का शव देखकर वह बदहवास हो गया और लगभग दस–पंद्रह दिन तक बदहवास बना रहा। इसी बीच गाँव वालों ने कहा कि पुत्री की मृत्यु की सूचना थाने में देना ज़रूरी है। तब गाँव वाले एक दरख्वास्त टाइप कराकर ले आए थे, जिस पर उसका निशानी अंगूठा लगवा दिया था। वह पढ़ा–लिखा नहीं है, केवल अंगूठा लगाना जानता है। प्रार्थना पत्र उसे पढ़कर नहीं सुनाया गया था। प्रार्थना पत्र में क्या लिखा था, इसकी उसे जानकारी नहीं है। उसकी पुत्री ने स्वयं दर्द से परेशान होकर आत्महत्या की है। उपरोक्त अभियुक्तगण को झूठा फँसाया गया है। अभियुक्तगण ने उसे दहेज के लिए न तो प्रताड़ित किया और न ही जलाकर उसकी हत्या की है। उपरोक्त प्रतिपरीक्षा अभियोजन पक्ष द्वारा की गई थी। पीडब्ल्यू–1 से अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा भी जिरह की गई, जिसमें भी पीडब्ल्यू–1 ने कहा है कि उसकी पुत्री के पेट में दर्द रहता था और दर्द की वजह से अक्सर बीमार रहती थी। इसी वजह से उसने अकेले में आत्महत्या कर ली। उसकी पुत्री का पुत्र नीरज अपने दादा–दादी के पास है और प्रेमपूर्वक रह रहा है। उसकी पुत्री के दाह संस्कार के समय उसकी पत्नी, उसका लड़का तथा ससुरालीजन सभी लोग उपस्थित थे। उसके दामाद हरी सिंह ने उसकी पुत्री का दाह संस्कार किया था। पंचायतनामा के समय हम सब लोग अभियुक्तगण के साथ उपस्थित थे। विवेचक ने उसका कोई बयान नहीं लिया है।

31. इस प्रकार अभियोजन का एक महत्वपूर्ण साक्षी, जो कि वादी मुकदमा है, उसने अपने समस्त आरोपों से इन्कार किया है। उसने अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट में लिखित कंटेंट एवं तथ्यों से भी इन्कार किया है। उसने अपने साक्ष्य में इस तथ्य से भी इन्कार किया है कि उसकी पुत्री को उसके ससुराल वाले दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे तथा उनके द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। न ही उसने अभियुक्तगण के संबंध में यह कहा है कि वे उसे परेशान करते थे, बल्कि उसने कहा है कि उसकी पुत्री अपने ससुराल में अभियुक्तगण के साथ प्रेमपूर्वक रहती थी और उसे किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी। अभियुक्तगण उसे अपने घर में बहुत प्रेमपूर्वक रखते थे। उसकी पुत्री बीमार रहती थी और बीमार रहने की वजह से वह परेशान रहती थी। उसके पेट में अक्सर दर्द रहता था। उसका इलाज ससुराल वाले ही कराते थे, परंतु वह

अत्यधिक परेशान हो गई थी और उसी परेशानी में उसने अकेले में आत्महत्या कर ली। इस संबंध में अभियोजन की ओर से यह कहा गया कि उसने ससुराल वालों के तंग करने की वजह से आत्महत्या की होगी। यह भी कहा गया कि कोई भी लड़की या कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से आत्महत्या नहीं कर सकता। अभियोजन ने यह भी आरोप लगाया कि वह जलाकर मारी गई है, स्वयं नहीं जली है। परंतु चिकित्सकीय साक्षी के बयान से यह स्पष्ट है कि वह 100 प्रतिशत जल गई थी, लेकिन इस प्रकार का कोई वैज्ञानिक तथ्य सामने नहीं आया जिससे यह स्पष्ट होता हो कि उसने स्वयं आग नहीं लगाई थी बल्कि किसी ने आग लगायी हो। न ही इस संबंध में पीडब्ल्यू–1 द्वारा कोई ऐसा साक्ष्य दिया गया है जिससे यह सिद्ध हो सके कि अभियुक्तगण मृतका को परेशान करते थे। इसके संबंध में भी कोई ठोस तथ्य सामने नहीं आए हैं।

32. वादी मुकदमा पीडब्ल्यू–1 के अतिरिक्त अन्य तथ्य के साक्षियों में पीडब्ल्यू–2 के रूप में श्रीमती प्रेम, जो कि मृतका की माँ हैं, का परीक्षण किया गया। उसने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि उसकी पुत्री की शादी लगभग पाँच वर्ष पूर्व हरी सिंह के साथ हुई थी। शादी में उसने अपनी इच्छा अनुसार दान–दहेज देकर लड़की विधिवत विदा कर दी थी। शादी के बाद उसकी लड़की ने ससुराल में ससुरालीजनों द्वारा प्रताड़ित करने, मारपीट करने अथवा आर्थिक दहेज की मांग करने के संबंध में कभी कोई शिकायत नहीं की थी। ससुराल में अभियुक्तगण द्वारा दहेज में तीस हज़ार रुपये एवं एक भैंस की मांग कभी नहीं की गई थी। न ही उसके द्वारा जलाकर मारा गया और न ही दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया। उसकी पुत्री बीमार रहती थी और उसके पेट में भयंकर दर्द रहता था, जिसका इलाज हम लोग तथा ससुरालीजन कराते रहे। इसी वजह से उसने स्वयं आग लगाकर आत्महत्या कर ली। अभियोजन की ओर से की गई प्रतिपरीक्षा में भी उसने कहा है कि उसकी पुत्री अपने ससुराल में खुश रहती थी। उसके एक बच्चा भी हुआ था और वह बच्चा अभी भी अपने दादा–दादी के पास रह रहा है। उसकी पुत्री के पेट में दर्द रहता था और इसी वजह से उसने स्वयं आग लगाकर आत्महत्या कर ली। जब उसकी मृत्यु की सूचना मिली, तब सभी लोग अस्पताल गए थे और पोस्टमार्टम कराने भी गए थे। अभियुक्तगण का कोई दोष नहीं है। अतिरिक्त दहेज की मांग उन्होंने कभी नहीं की, न ही उसकी पुत्री को मारपीट कर प्रताड़ित किया। जब बचाव पक्ष की ओर से उसकी प्रतिपरीक्षा की गई, तब भी उसने यही कहा कि उसकी पुत्री को पेट में दर्द की बीमारी थी। इसका इलाज ससुराल वालों ने कई वैद्यों से कराया था, परंतु उसे आराम नहीं मिला था। वह जब भी मायके आती थी, तो दर्द की वजह से कई बार आत्महत्या करने की बात कहती रहती थी। उसने हमारे यहाँ भी आत्महत्या करने का प्रयास किया था, किंतु लोगों ने उसे बचा लिया था। उसकी पुत्री से ससुराल वालों, अर्थात अभियुक्तगण, ने कभी भी अतिरिक्त दहेज की मांग नहीं की। इस प्रकार पीडब्ल्यू–2 ने भी अभियुक्तगण द्वारा दहेज मांगने तथा उसे प्रताड़ित करने के संबंध में

इनकार किया है और कहा है कि उसकी पुत्री अपने ससुराल में खुश रहती थी तथा अभियुक्तगण द्वारा उसे प्रताड़ित नहीं किया गया। पीडब्ल्यू–2 एक महत्वपूर्ण साक्षी है, क्योंकि वह मृतका की माँ है, परंतु इसने अभियुक्तगण पर लगाए गए सभी आरोपों से इनकार किया है। इसके अतिरिक्त पीडब्ल्यू–3 के रूप में सुशेन्द्र कुमार का परीक्षण कराया गया, जो कि मृतका का भाई है। उसने भी अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि उसकी बहन बीमार रहती थी और उसके पेट में भयंकर दर्द रहता था। इसी दर्द की वजह से परेशान होकर उसने स्वयं आत्महत्या कर ली। उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में भी कहा है कि उसकी बहन ससुराल में प्रेमपूर्वक रहती थी। उसकी बहन के एक पुत्र का जन्म हुआ था, जो इस समय अपने दादा–दादी के साथ रह रहा है। उसकी बहन के पेट में बहुत दर्द रहता था और वह कई बार कहती थी कि इस दर्द से मुक्ति पाने के लिए आत्महत्या कर लूँ। उसी से परेशान होकर उसने आत्महत्या कर ली। ससुराल वालों ने कभी भी दहेज की मांग नहीं की। आगे साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कहा है कि वह आईटीआई कर रहा है और उसकी बहन के ससुराल वालों ने कभी भी दहेज की मांग नहीं की। उसकी बहन ने एक–दो बार पहले भी आत्महत्या करने की कोशिश की थी, तब हम लोगों ने उसे बचा लिया था। काफी इलाज के बाद भी उसे आराम नहीं मिला। इस प्रकार पीडब्ल्यू–3 ने भी अभियुक्तगण पर लगाए गए आरोपों से इनकार किया है। उसने कहा है कि उसकी बहन अपने ससुराल में बहुत खुश रहती थी और ससुराल वालों ने उसे दहेज के लिए मानसिक रूप से कभी परेशान नहीं किया। उसकी बहन ने बीमारी, विशेषकर पेट में दर्द की वजह से स्वयं आत्महत्या की है। इसके अतिरिक्त पीडब्ल्यू–4 के रूप में शंकर पाल का परीक्षण किया गया, जो कि वादी मुकदमा का भाई तथा मृतका का चाचा है। उसने भी अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि मृतका अपने ससुराल में खुश रहती थी और जब भी घर आती थी, तो उसने कभी भी ससुरालीजनों द्वारा प्रताड़ित किए जाने की बात नहीं बताई। उनके द्वारा तीस हज़ार रुपये एवं भैंस की मांग करने की बात भी कभी नहीं बताई। ससुराल वालों ने उसके साथ किसी प्रकार का शारीरिक अथवा मानसिक उत्पीड़न नहीं किया था। ससुराल वालों ने उसे आग लगाकर नहीं मारा है। यह साक्षी पक्षद्रोही घोषित किया गया। इसके अतिरिक्त इसने अपनी प्रतिपरीक्षा में भी कहा है कि उसके ससुराल वाले उसे परेशान नहीं करते थे और दहेज के रूप में कोई मांग नहीं नहीं की थी तथा न ही प्रताड़ित करते थे। उसने स्वयं ही आत्महत्या की है। उसने यह भी कहा कि मृतका को पेट की बीमारी थी। बच्चे के पैदा होने के बाद उसे और अधिक दर्द होने लगा, जिससे वह परेशान रहती थी। मृतका ने हमारे यहाँ भी बीमारी से परेशान होकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी, परंतु हम लोगों ने उसे बचा लिया था। मृतका ने स्वयं आग लगाकर आत्महत्या की है। इस प्रकार अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किए गए समस्त तथ्य के साक्षीगण, जो कि मृतका के परिवार के ही सदस्य हैं, उन्होंने अभियुक्तगण द्वारा दहेज

मांगने एवं उसे प्रताड़ित करने के आरोपों से स्पष्ट रूप से इनकार किया है। उन्होंने यह कहा है कि मृतका के पेट में दर्द रहता था और उसी दर्द की वजह से वह परेशान रहती थी। पहले भी कई बार वह आत्महत्या करने की बात कहती थी तथा एक–दो बार प्रयास भी किया था, परंतु हम लोगों ने उसे बचा लिया था। अंततः उसने अकेले में स्वयं आत्महत्या कर ली। इन साक्षीगण ने अभियुक्तगण द्वारा मृतका को प्रताड़ित करने अथवा उसकी हत्या करने से स्पष्ट रूप से इनकार किया है।

33. अभियोजन द्वारा उपरोक्त साक्षीगण के अतिरिक्त, पीडब्ल्यू–5 के रूप में बालकृष्ण सिंह परीक्षित कराए गए हैं, जिन्होंने अपने मुख्य परीक्षा में कहा है कि दिनांक 23.03.2022 को वह तहसीलदार महोबा के पद पर तैनात था और वह मृतका के शव का पंचायतनामा करने हेतु जिला अस्पताल महोबा गया था। वहाँ पर मृतका के परिजन व ससुरालीजन उपस्थित थे, जो विलाप कर रहे थे। इस साक्षी ने यह भी कहा है कि मृतका का सम्पूर्ण शरीर जला हुआ था और जले हुए कपड़े चिपके थे तथा जाहिरा कोई चोट नजर नहीं आ रही थी। मृतका की मृत्यु जल जाने से हुई है, उसकी राय पंचों की राय से मेल खाती थी। मृत्यु का सही कारण जानने के लिए मृतका के शव का पोस्टमार्टम कराया गया। इस साक्षी ने प्रदर्श क–2 लगायत प्रदर्श क–6 को साबित किया है। इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कहा है कि उसने पंचनामा के प्रथम पृष्ठ पर लिखवाया था कि मृतका ने अपने ऊपर डीजल डालकर आग लगाकर आत्महत्या कर ली है, जो कि प्रमोद कुमार पुत्र नाथूराम निवासी रैपुराकलॉ के द्वारा थाने में सूचना दी गई थी। मृतका का शरीर जला हुआ था, जिसकी वजह से चोट के निशानों की स्थिति स्पष्ट नहीं थी। इस साक्षी ने मात्र औपचारिक रूप से, जो उसने वहाँ देखा, उसके संबंध में अपना साक्ष्य दिया है और वहाँ पर मौजूद लोगों के आचरण के बारे में बताया है। इस साक्षी ने घटना के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य अभियुक्तगण के विरूद्ध में नहीं दिया है। यह मात्र एक औपचारिक साक्षी है। जिसके अंतर्गत पीडब्ल्यू–6 के रूप में हेड कॉन्स्टेबल राजकुमार को परीक्षित कराया गया है, जिसने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने हेतु जीडी को साबित किया है। इसके अतिरिक्त, पीडब्ल्यू–7 के रूप में डॉक्टर गौतम चंद्र वर्मा को परीक्षित कराया गया, जिसके बयान का विश्लेषण पूर्व में किया जा चुका है। इस साक्षी ने मृतका के शव के संबंध में लिखा है और अपनी राय दी है कि मृत्यु का संभावित समय का आकलन नहीं किया जा सकता। मृतका की मृत्यु शॉक ड्यू टू एंटीमोर्टम बर्न इंजरी होना पाया गया है। इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कहा है कि महिला के शव की पहचान राम कुमार जेठ व गोकुल ससुर द्वारा दी गई। मृतका का पूरा शरीर जला हुआ था। मृतका की मृत्यु जलने के कारण होने की बात उसने कही है। फिर विवेचक के रूप में क्षेत्राधिकारी राम प्रसाद राय को परीक्षित कराया गया है, जो कि विवेचक है। इसने सभी अभियोजन प्रपत्रों को साबित किया है तथा विवेचना में जली हुई लाश के फोटोग्राफ को तथा

शादी के कार्ड को साबित किया है। इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कहा है कि उसने श्यामचरण, डालचंद्र व दुर्गा प्रजापति का बयान नहीं लिया था , क्योंकि लोग न्यायालय में आकर बयान देने से बचते हैं, जिसके फलस्वरूप मौखिक बताते हैं, लिखित रूप से बयान अंकित नहीं कराते। प्रदर्श क–11 उसके हस्तलेख में नहीं है, परंतु उसकी उपस्थिति में, उसके बताए अनुसार बनाया गया है। इस साक्षी ने आगे कहा है कि प्रमोद कुमार ने एक प्रार्थनापत्र कोतवाली महोबा में दिया था। उसमें उल्लेख किया था कि घटना के समय अभियुक्त खेतों पर काम करने गए थे, घर पर कोई नहीं था। शोर व धुआं देखकर हम लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया था, लेकिन विवेचना में मिले साक्ष्यों से प्रतीत होता है कि अभियुक्तगण ने अपने बचाव में सूचना ग्राम प्रधान के माध्यम से दिलाई थी। अभियोजन की ओर से अन्य किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराए गए हैं। जो भी तथ्य साक्षीगण हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से अपने साक्ष्य में कहा है कि अभियुक्तगण मृतका को दहेज हेतु परेशान नहीं करते थे तथा उनके द्वारा मृतका से कभी भी दहेज नहीं माँगा गया। अर्थात अभियुक्तगण के कारण मृतका की मृत्यु नहीं हुई। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत समस्त साक्ष्य से स्पष्ट है कि मृतका की मृत्यु अभियुक्तगण के किसी आपराधिक कृत्य के परिणामस्वरूप नहीं हुई है। यदि अभियुक्तगण के किसी भी कृत्य के परिणामस्वरूप मृतका की मृत्यु होती, चाहे वह अभियुक्तगण द्वारा प्रत्यक्ष रूप से न मारी गई हो, अथवा उसने आत्महत्या ही क्यों न की होती, परंतु यदि अभियुक्तगण उस मृत्यु के लिए जिम्मेदार होते, तब अपराध धारा 304–बी भा0 दं0 सं0 का साबित होता।

33. अभियोजन साक्षियों ने ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे यह साबित होता हो कि अभियुक्तगण द्वारा मृतका की मृत्यु कारित की गई हो। यह भी उल्लेखनीय है कि मृतका ने स्वयं आग लगाकर अपनी जान देने का साक्ष्य आया है, क्योंकि अभियोजन की ओर से ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह साबित हो सके कि अभियुक्तगण द्वारा मृतका की हत्या की गई हो। विवेचना में विवेचक द्वारा भी ऐसा कोई स्पष्ट साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह साबित हो सके कि अभियुक्तगण द्वारा मृतका की हत्या की गई हो। कोई चक्षुदर्शी साक्षी नहीं प्रस्तुत किया गया है। वादी मुकदमा, जो कि मृतका का पिता है, तथा पीडब्ल्यू–2, जो कि मृतका की माँ है, पीडब्ल्यू–3, जो कि मृतका का भाई है, तथा पीडब्ल्यू–4, जो कि मृतका के चाचा है, सभी तथ्य के साक्षीगणों ने स्पष्ट रूप से अभियुक्तगण द्वारा मृतका की मृत्यु के लिए जिम्मेदार होने से इंकार किया है। ऐसी स्थिति में इस प्रकार बिना साक्ष्य के अभियुक्तगण को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। जहॉ तक धारा 113 बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत उपधारणा का प्रश्न है कि मृतका अपनी ससुराली में अपनी शादी क 07 वर्ष के अन्दर मरी है तो अभियुक्तगण उक्त घटना के जिम्मेदार है। इस सम्बन्ध में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं आया है कि मृतका की मृत्यु से ठीक पूर्व अभियुक्तगण द्वारा उसके साथ कोई

क्रूरता की हो। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विधि व्यवस्था **CRIMINAL APPEAL NO.1408 OF 2015 RAM PYAREY Appellant(s) VERSUS THE STATE OF UTTAR PRADESH Respondent(s)** निर्णय दिनांकित 09.01.2025 में यह अवधारित किया हैः–

13. It is relevant to note that under Section 113B, theCourt may presume unlike Section 113A where the statute says that Court shall presume. This is a vital difference between the two provisions which raises presumption as regards abetment of suicide. When the Courts below want to apply Section 113B of the Evidence Act, the condition precedent is that there has to be first some cogent evidence as regards incessant harassment. In the absence of any cogent evidence as regards harassment or abetment in any form like aiding or instigating, the court cannot straightaway invoke Section 113B and presume that the accused abetted the commission of suicide.

34. इस प्रकार अभियोजन अपना अभियोजन कथानक संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। न तो धारा 304–बी भारतीय दंड संहिता, न ही धारा 302 सपिठत धारा 34 भारतीय दंड संहिता, तथा न ही धारा 3/4 डी.पी. एक्ट के अंतर्गत दोषसिद्ध करने हेतु कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध है। अतः अभियुक्तगण को बिना साक्ष्य के दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इस प्रकार अवधार्य बिन्दु संख्या–3 तद्नुसार निस्तारित किया जाता है।

35. यह उल्लेखनीय है कि वादी मुकदमा द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट गलत आधारों पर दर्ज करायी गयी तथा उसके उपरान्त विवेचना में भी साक्ष्य दिया गया जिसके आधार पर यह परीक्षण हुआ। न्यायालय का समय नष्ट किया तथा अभियुक्तगण पर फर्जी मुकदमा चलाया गया। जिससे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा का नुकसान हुआ इसलिए वादी मुकदमा पी०डब्लू०–1 धरम के विरूद्ध धारा 344 दं०प्र०सं० की कार्यवाही आवश्यक है।

36. उपरोक्त तथ्यों व परिस्थितियों में व सम्पूर्ण विश्लेषण से स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण हरी सिंह पाल, चरन उर्फ रामचरन पाल व श्रीमती सम्पत पाल के विरूद्ध धारा 498ए, 304बी भा०दं०सं० व धारा–3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम व वैकल्पिक आरोप अन्तर्गत धारा 302 सपिठत धारा 34 भा०दं०सं०के अपराध को युक्तियुक्त रूप से संदेह से परे पूर्णतया साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण उपरोक्त साक्ष्य के अभाव में धारा 498ए, 304बी भा०दं०सं० व धारा–3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम व वैकल्पिक आरोप अन्तर्गत धारा 302 सपिठत धारा 34 भा०दं०सं०के अपराध से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

37. सत्र वाद संख्या 322/2022 सरकार बनाम हरीसिंह पाल आदि में अभियुक्तगण हरी सिंह पाल, चरन उर्फ रामचरन पाल व श्रीमती सम्पत पाल को धारा 498ए, 304बी भा०दं०सं० व धारा–3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम व वैकल्पिक आरोप अन्तर्गत धारा 302 सपिठत धारा 34 भा०दं०सं०के अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

38. अभियुक्तगण जमानत पर हैं। उनके जमानतनामें निरस्त करते हुये उनके प्रतिभुओं को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

39. पी0 डब्लू0–1 वादी मुकदमा धरम के विरूद्ध धारा 344 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत प्रकीर्ण वाद पंजीकृत हो तथा उसके विरूद्ध दिनांक 13.04.2026 लिए समन निर्गत किया जाये।

40. माल मुकदमा बाद मियाद अपील नियमानुसार निस्तारित किया जाये।

दिनांक 12.03.2026

(तेन्द्र पाल)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०,
(सी०ए०डब्लू०), महोबा।
UP- 1719

निर्णयादेश आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर उदघोषित किया गया।

दिनांकः12.03.2026

(तेन्द्र पाल)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०,
(सी०ए०डब्लू०), महोबा।
UP- 1719

Digitally signed by TENDRA PAL
Date: 2026.03.14 10:24:09 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court